न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी: अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
46 / 2022	14.10.2022	21.06.2024

1. राजेंद्र पुत्र मदनलाल उम्र 33 वर्ष
2. प्रेमप्रकाश पुत्र मदन उम्र 40 वर्ष
3. रामप्यारी पत्नी मदन उम्र 60 वर्ष
4. छोटु पुत्र बदरी उम्र 57 वर्ष
5. सत्यनारायण पुत्र बदरी उम्र 62 वर्ष

जाति माली निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

कार्यालय उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित:—

1. श्री राधेश्याम वैष्णव प्रार्थी की ओर से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट बाबत पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी क्रमांक 1 व 2 का पिता तथा प्रार्थीया क्रमांक 3 का पति मदन तथा प्रार्थी क्रमांक 4 छोटू तथा प्रार्थी क्रमांक 5 सत्यनारायण तीनों खास भाई है जिनके पिता का नाम बदरी है, जिनमें प्रार्थी क्रमांक 1 व 2 के पिता तथा प्रार्थीया क्रमांक 3 के पति मदन पुत्र बदरी की मृत्यु दिनांक 12.10.2021 को हो चुकी है । प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि स्थित ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर में स्थित भूमि खसरा नं० 1695 रकबा 0.0200 है०, ख0नं0 1695/ 5515 रकबा 0.0500 है०, ख0न0 1696 रकबा 0.1100 है०, ख0न0 1702 रकबा 0.1400 है0,ख0न0 1703 रकबा 0.4900 है0, ख0न0 1704 रकबा 0.0100 है०, ख0नं0 1705 रकबा 0.0100 है0, ख0न0 1706 रकबा 0. 0100 है0, ख0नं0 1707 रकबा 0.0100 है०, ख0न0 1708 रकबा 0.0100 है० ख०न० 1709 रकबा 0.0900 है0, ख0नं0 1710 रकबा 0.1000 है0, ख0नं0 1711 रकबा 0.0400 है0, ख0नं0 1712 रकबा 0.0600 है० कुल किता 14 रकबा 1.115 हेक्टेयर है जिसमें प्रार्थी क्रमांक 1 व 2 के पिता प्रार्थी क्रमांक 3 के पति मदन, प्रार्थी क्रमांक 4 छोटू तथा प्रार्थी क्रमांक 5 सत्यनारायण के पिता का नाम बदरी के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की गलती से हजारी दर्ज हो गया, यह लिपिकीय भूल है, जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में दर्ज खसरा नं0 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. कुल किता 13 कुल रकबा 16.33 है0 तथा ख0नं0 101, 110, 1694, 1697, 1698, 1699, 1700,

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:34:29 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

1701, 1713, 3687, 3688, 3689, 3690, 3890, 3891 रकबा कुल 7.18 है0 स्थित ग्राम कुशतला में प्रार्थी क्रमांक 1 व 2 के पिता प्रार्थी कमांक 4 व 5 के पिता का नाम मदन, सत्यनारायण, छोटू पुत्रान बदरी माली दर्ज है, जो सही है। प्रार्थीगण के राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा वोटर आई. डी. कार्ड में प्रार्थीगण मदन, सत्यनारायण, छोटू पुत्रान बदरी दर्ज है, जबकि जमाबन्दी में अंकित खसरा नं0 जो प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 2 में अंकित है उसमें प्रार्थी क्रमांक 1 व 2 के पिता तथा प्रार्थी क्रमांक 3 के पति मदन तथा प्रार्थी कमांक 4 व 5 के पिता का नाम गलती से बदरी के स्थान पर हजारी दर्ज हो गया जिसे जमाबन्दी हाल सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या नया 670 में मदन, सतयनारायण, छोटू पुत्रान हजारी के स्थग्न पर मदन, सत्यनारायण, छोटू पुत्रान बदरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण ने वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2079 खाता संख्या 670 में अंकित भूमि में प्रार्थीगण का नाम मदन, सत्यनारायण, छोटू पुत्रान बदरी दर्ज करने हेतु विपक्षी से दिनांक 27.09.22 को कहा तो श्रीमान् के न्यायालय में पिता का नाम शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्देश दिया इस कारण प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। य प्रार्थना पत्र 2/— रू0 न्याय शुल्क पर पेश हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के चरण कमांक में अंकित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 वर्तमान खाता संख्या 670 में प्रार्थीगण का नाम मदन, सत्यनारायण, छोटू पुत्रान हजारी के स्थान पर मदन, सत्यनारायण, छोटू पुत्रान बदरी माली दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम कुशतला के जमाबंदी सम्वत 2064—2067 के खाता संख्या 443 पर बद्री पि0 हजारी हि0 2/15 सह खातेदार रिकार्ड हो कर उक्त जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 1413 दिनांक 20.09.2009 विरासत के द्वारा बद्री पुत्र हजारी हि 2/15की विरासत मदन राधेश्याम, छोटूलाल सत्यनारायण पि0 बदरी शान्ति किशकन्दा मन्जू पुत्र बदरी हीरा बेवा बदरी जाति माली हि 2/15 के नाम स्वीकार हुआ। शेष बदस्तूर रहा दर्ज रिकार्ड है [illegible] नामा0 संख्या 1546 दिनांक 05.07.2010 हक त्याग [illegible] मन्जू व हीरा के स्थान पर मदन राधेश्याम छोटू सत्यनारायण पुत्र ब[illegible] के नाम स्वीकार हुआ। शेष बदस्तूर रहन दर्ज रिकार्ड है। वाके ग्राम कुशतला के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2068—2071 के खाता संख्या 555 पर मदन सत्यनारायण पि0 हजारी हि0 2/30 राहिन पंजाब नेशनल बैंक स0मा0 मुर्तहीन राधेश्याम छोटूलाल पि0 हजारी हि 2/30 सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त जमाबंदी में मदन सत्यनारायण राधेश्याम छोटूलाल पिता हजारी दर्ज हो गया जो कि उक्त सहखातेदारों के दादाजी है। ग्राम कुशतला की जमाबंदी सम्वत 2072—75 के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.10 13:54:29 IS
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संख्या 383 पर मदन सत्यनारायण राधेश्याम छोटूलाल पि0 हजारी हि0 2/15 सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2076 79 के खाता संख्या 670 पर छोटूलाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/30 व सत्यनारायण पुत्र पि0 1/30 जाति माली साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कुश्तला रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2064 67 पर नोट अंकित नामान्तकरण संख्या 1413 दिनांक 20.09.2009 विरासत से बदरी पुत्र हजारी 2/15 की विरासत मदन राधेश्याम छोटूलाल सत्यनारायण पि0 बदरी शान्ति किशनकन्या मन्नु पुत्री बदरी हीरा बदरी के नाम स्वीकार हुई है। मदन राधेश्याम छोटूलाल सत्यनारायण पि0 हजारी के बजाय मदन राधेश्याम छोटूलाल सत्यनारायण पि0 बदरी किया जाना बताया है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ बहस करते हुए बताया कि प्रार्थीण की राजस्व ग्राम कुश्तला के खाता संख्या 670 में अंकित कुल खसरा किता 14 कुल रकबा 1.15 है0 स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीण को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण के पिता का सही नाम बदरी है। नामान्तकरण तस्दीक करते समय प्रार्थी के पिता के नाम की बजाय दादाजी का नाम अंकित कर दिया गया है जो गलत है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम सही किया जावे।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 1413 दिनांक 0.09.2009 विरासत के द्वारा बदरी पुत्र हजारी व अन्य के नाम स्वीकार हुआ। खाता संख्या 670 में प्रार्थीगण संख्या 4 एवं 5 पिता का नाम बदरी है लेकिन सहवन से हजारी दर्ज हो गया है। जिसको शुद्ध किया जाना उचित है।

कियात्मक आदेश

उक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम कुश्तला के खाता संख्या 670 में अंकित कुल खसरा किता 14 कुल रकबा 1.15 है0 भूमि में प्रार्थीगण छोटू[illegible] के पिता का नाम हजारी के स्थान पर बदरी माली वर्तमान [illegible] राजस्व [illegible] रिकार्ड में दर्ज किए जावे। शेष इंद्राज बदस्तुर यथावत [illegible] पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवाई जावे निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को टंकित करवाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिला दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:34:29 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर